3 बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव

बाढ़ आने की दषा में आवष्यकतानुसार राहत एवं बचाव की त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ आते ही अंचल से लेकर जिला तथा राज्य स्तर तक आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष एवं राहत तथा बचाव दल तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। बाढ़ के दौरान निम्न कारवाईयॉ अपेक्षित होगी **(चेकलिस्ट अनुलग्नक 8 पर संलग्न)**।

3.1 बाढ़ पूर्व चेतावनी

बाढ आने की सूचना राज्य एवं जिला स्तर पर प्रचार माध्यमों से आमजन तक पहुॅचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में जन प्रतिनिधियों एवं समाजिक कार्यकर्त्ताओं की भी मदद ली जाएगी।

3.2 बाढ़ की सूचना का प्रेषण

जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना जिले में तैयार संचार योजना के अनुसार द्रुततम संचार माध्यमों से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। तटबंधों के टूटने की दषा में जिला पदाधिकारी स्वयं इसकी सूचना मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को देगे।

3.3 प्रभावित क्षत्रों में नावों का परिनियोजन (Deployment)

बाढ़ आने की सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी अथवा जिला प्रषासन के वरीय पदाधिकारी /अंचल अधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ की गंभीरता का आकलन किया जाएगा । यदि बाढ़ की स्थिति गंभीर है एवं आवागमन की समस्या उत्पन्न हुई हो तो प्रभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना के अनुसार नावों का परिनियोजन (Deployment) किया जाएगा। इसके लिए संबंधित नाविकों/नाव मालिकों को परवाना दिया जाएगा। यदि ऐसे क्षेत्र में बाढ़ आयी हो जहां नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना नहीं बनायी गयी हो तो तद्नुसार आकस्मिक योजना में परिवर्त्तन कर तत्काल वहां नावें उपलब्ध करायी जाएगी। परिचालित की जा रही नावों पर लाल झंड़ा लगा दिया जाएगा एवं यह अंकित करा दिया जाएगा कि यह राज्य सरकार की ओर से निःषुल्क सेवा है। साथ ही नावों पर लदान क्षमता अंकित रहेगी एवं लदान क्षमता के अनुरूप नावों पर एक वाटर लाईन पेंट से अंकित कर दी जाएगी ताकि लोगों को ज्ञात हो सके कि जब तक उक्त वाटर लाईन पानी की सतह से उपर है तब तक यात्रा निरापद है। चलायी जाने वाली नाव निष्चित स्थल/घाट से चलेगी। उक्त घाट/स्थान पर सूचनापट लगा

रहना आवष्यक होगा जिसमें नाविक का नाम एवं परिचालन की अवधि अंकित रहेगी। समय–समय पर इस तथ्य की जांच होती रहेगी कि उपर्युक्त स्थलों पर नावों का परिचालन हो रहा है या नहीं। उस क्षेत्र में प्रतिनियक्त पर्यवेक्षक की जबाबदेही होगी कि नावों का परिचालन हेाता रहे। नावों पर ओवर लोडिंग न हो इसके लिए नाविकों को सतर्क कर दिया जाएगा। ओवर लोडिंग रोकने हेतु एक स्थल/घाट पर एक से अधिक नावों का परिनियोजन किया जा सकता है। आवष्यक होने पर नाव परिचालन स्थल/घाट पर ओवर लोडिंग रोकने हेतु स्थानीय चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थाना स्तर से की जाएगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाविकों को भाड़े का साप्ताहिक भुगतान सुनिष्चित किया जाएगा। बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों के संबंध में दिषा निर्देष विभागीय पत्रांक 12(प्र0) दिनांक 19.1.2009 द्वारा निर्गत है। **(अनुलग्नक 9 पर संलग्न)**

3.4 क्षति का त्वरित आकलन

राहत कार्यों के संचालन एवं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के पुनर्स्थापन के लिए यह आवष्यक होगा कि बाढ़ क्षति का प्रारम्भिक आकलन अविलम्ब कर लिया जाए। अतएव जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ क्षति के प्रारंभिक आकलन के लिए टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी रहेंगे जो स्थल निरीक्षण, हवाई सर्वेक्षण तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आलोक में क्षति का प्रारम्भिक आकलन करेंगे। क्षति का आकलन करते समय प्रभावित क्षेत्रों की तिथियुक्त फोटोग्राफो/वीडियोग्राफी भी करा ली जाएगी। क्षति के त्वरित आकलन के घटक निम्नांकित होंगेः–

- प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र
- प्रभावित जन समुदाय
- मृत/लापता व्यक्तियों की संख्या
- क्षतिग्रस्त मकान
- प्रभावित परिवारों के वस्त्र/बर्त्तन आदि की क्षति
- सड़कें, पुल पुलियों एवं सरकारी गोदामों आदि की क्षति
- जलापूर्त्ति योजनाओं, चापाकलों, विद्युत संरचनाओं/ लाइनों, दूरसंचार सेवाओं की क्षति
- अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति यथा स्कूल भवन/अस्पताल/पचायत भवन/सरकारी भवन आदि की क्षति
- कृषि क्षति/फसल क्षति
- मवेषी क्षति

3.5 आबादी का निष्क्रमण

बाढ की गंभीरता को देखते हुए यदि आबादी के निष्क्रमण की आवष्यकता हो तो मोटर बोट/नाव तथा राहत एवं बचाव दलों के माध्यम से आबादी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाल कर पूर्व चिन्हित शरण स्थलों/राहत षिविरों में ले जाया जाएगा। आबादी के निष्क्रमण के दौरान विकलांगों, वृद्धजनों, षिषुओं, गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं का विषेष ध्यान रखा जाएगा। राहत षिविरों में लाए जाने के उपरांत बाढ़ प्रभावितों को प्रथमतः सूखा राषन जैसे सत्तू, नमक,चूड़ा, गुड़ आदि तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही राहत षिविरों में रह रही आबादी को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए आवष्यक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राहत षिविरों में पर्याप्त रोषनी, सफाई व्यवस्था पेय जल, शौचालय, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राहत षिविरों में रह रही महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विषेष प्रबंध, जैसे, आयरन की गोलियां, सेनेटरी नैपकिन आदि का वितरण किया जाएगा। राहत केन्द्रों के संचालन के लिए विभागीय पत्रांक 2493/आ0प्र0, दिनांक 05.09.2008 पूर्व से संसूचित है **(अनुलग्नक 16 पर द्रष्टव्य)**। मेगा कैम्पों में उपलब्ध करायी जानेवाली अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अलग से निदेष निर्गत किया जाएगा।

3.6 राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स(एन0डी0आर0एफ0)/राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की मांग

आबादी के निष्क्रमण तथा राहत एवं बचाव कार्यों क लिए एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के सेवाओं की आवष्यकता पड़ सकती है। अतएव बाढ़ की भीषणता के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र/राज्य नियंत्रण कक्ष/आपदा प्रबंधन विभाग को एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 भेजने का अनुरोध करेंगे। जैसे ही यह आवष्यक हो, अनुरोध द्रुततम संचार माध्यम से किया जाएगा ताकि एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के परिनियोजन में समय न लगे। सूचना प्राप्त होते ही आपदा प्रबंधन विभाग इनकी सेवाएँ जिले को उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा। NDRF/SDRF के परिनियोजन हेतु विभाग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेगा।।

3.7 सेना की मांग

यदि बाढ़ पीड़ित आबादी के निष्क्रमण एवं राहत/बचाव के लिए सेना के मद्द की आवष्यकता हो तो जिला पदाधिकारी द्रुततम संचार माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग/राज्य नियंत्रण कक्ष को अपना अनुरोध भेजेंगे।

3.8 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मांग

3.8.1 अधियाचना की प्रकिया

आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी निकटतम सैन्य या वायुसेना के पदाधिकारी से सम्पर्क करके हेलीकॉप्टर की मांग करगे । तत्पष्चात् द्रुततम संचार माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग को अधियाचना भेजेंगे । अधियाचना प्राप्त होते ही गृह विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष को हेलीकॉप्टर भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

3.8.2 हेलीकॉप्टरों/हवाई जहाज के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. **हवाई सर्वेक्षण**
2. **फुड पैकेट गिराना**
3. **खोज एवं बचाव**
4. **निष्क्रमण**

3.8.3 वायुयान के प्रकार

(I) AN-32:- 5 टन का वजन उठाने की क्षमता है और इसमें ग्रेड 1 के 3 और ग्रेड II के 7 अफसर रहते हैं, जिनके आवासन की आवष्यकता होती है।

(II) MI-8 :- 4 टन का वजन उठान की क्षमता है और इसमें ग्रेड I के 3 और ग्रेड II के 7 अफसर रहते हैं, जिनके आवासन की आवष्यकता होती है।

3.8.4 हेलीकॉप्टर के आने पर निम्न व्यवस्थाएँ की जाएगी

(i) Parking area:- कम–से–कम दो या तीन हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा हो।

(ii) हेलीकॉप्टर के उतरने के समय जिला का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध रहना चाहिए।

(iii) जिले के प्रतिनिधि द्वारा कार्य के संबंध में Briefing किया जाएगा।

(iv) Local Sim Card को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(v) Contact persons की सूची तथा फोन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर।

(vi) जहां हेलीकॉप्टर उतरना है वहां का Co-ordinates और प्रभावित क्षेत्र का नक्षा उपलब्ध कराया जाए।

(vii) वितरण के सामग्री की तैयारी। फुड पैकेट में सूखा राषन यथा चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक, आदि इस प्रकार रखे जाऐंगे कि एक पैकेट का वजन 10 कि0ग्रा0 से अधिक न हो और पानी की बोतल बीच में रखी जाय।

(viii) Load करने वाली टीम तथा सामान ले जाने वाला वाहन तैयारी हालत में रहे।

3.9 हेलीकॉप्टर से फूड पैकट गिराने की कार्रवाई का समन्वय

राज्य सरकार हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने की कार्रवाई का समन्वय करेगी। आवष्यकतानुसार किसी जिले के जिला पदाधिकारी को फूड पैकेट आदि तैयार कराने तथा हेलीकॉप्टर के परिचालन के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा जाएगा।

3.10 बाढग्रस्त क्षेत्रों में राहत व्यवस्था

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवष्यकता का आकलन करके बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही प्रभावितों को आवष्यकतानुसार सूखा राषन जैसे सत्तू, नमक, गुड/चूड़ा एवं किरासन तेल, मोमबत्ती आदि उपलब्ध कराया जाएगा। जिन व्यक्तियों के घर नष्ट हो गये हो उन्हें पॉलीथीन षीट उपलब्ध कराया जाएगा। अंचल अधिकारी की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि उनके क्षेत्रों म राहत कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान हेतु विभागीय पत्रांक 2765 दिनांक 25.09.08 द्वारा निदेष निर्गत है **(अनुलग्नक 11 पर संलग्न)**।

3.11 मानव स्वास्थ्य की देखभाल

बाढ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल मेडिकल टीमों को भेजा जाएगा । परन्तु राहत षिविरों में अलग से मेडिकल कैम्प भी लगाया जाएगा जिसमें डाक्टर, नर्स तथा आवष्यक दवाओं की व्यवस्था रहेगी। मोबाईल मेडिकल टीमों के साथ भी डाक्टर, नर्स एवं आवष्यक दवाओं का प्रबंध किया जाएगा। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (Health & Hygiene) के विषेष प्रबंध, जैसे, आयरन की गोलियाँ, सेनेटरी नैपकिन आदि, किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैलोजन टेबलेट कुआँ/चापाकल आदि में डालने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार सांप आदि काटने पर चिकित्सकों द्वारा प्रभावितों को अविलम्ब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। यह चिकित्सा सुविधा मोबाईल मेडिकल टीमों/प्राथमिक केन्द्रों/ उप केन्द्रों/मेडिकल कैम्पों द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। बाढ़ के दौरान अपने घरों से विस्थापित होने तथा जान–माल की क्षति के कारण संकटग्रस्त परिवारों

की मनःस्थिति सामान्य नहीं रहती है। अतएव उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्ष उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

3.12 पशु चारे की व्यवस्था

यदि मवेषी पालको द्वारा पषुओं के लिए रखा गया चारा बाढ़ से नष्ट हो गया हो तो आवष्यकतानुसार पषुओं के लिए पषु षिविर का प्रबंध किया जाएगा। ऐसे षिविरों में (पूर्व में आपदा राहत कोष) राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मानदर के अनुसार पषुओं को चारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के अन्तर्गत निर्धारित मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही विभागीय पत्रांक 2462 दिनांक 12.8.07 द्वारा संसूचित है **(अनुलग्नक 10 पर संलग्न)**। मानदर में समय–समय पर होने वाले संषोधनों की जानकारी विभागीय बेबसाइट पर देखी जा सकती है।

3.13 पशु स्वास्थ्य की देख–भाल

बाढ़ के दौरान पषुओं को जल जनित रोग हो जाते है। अतएव उन्हें जल जनित रोगों से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य की देख–भाल करने हेतु मोबाईल पषु चिकित्सा टीमें कार्यरत रहेगी जो गॉव/पंचायतों में घूम–घूम कर टीकाकरण एवं दवा आदि देने का कार्य करेंगी

3.14 गर्भवती माताओं/धातृ माताओं की देख–भाल

बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं को कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतएव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत मोबाईल मेडिकल टीमों को इस कोटि के महिलाओं के स्वास्थ्य पर विषेष रूप से ध्यान देने की आवष्यकता होगी। अतएव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोबाईल मेडिकल टीमों को इस कोटि के महिलाओं की सूची उपलब्ध करा देंगे ताकि गाँव/पंचायत स्तर पर अपने भ्रमण के दौरान मोबाईल मेडिकल टीमें उनके स्वास्थ्य का विषेष ध्यान रख सकें। शरण स्थलों/राहत षिविरों में धातृ प्रसव होने को स्थिति में जच्चा– बच्चा के स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात षिषु का टीकाकरण एवं धातृ माता के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था विषेष रूप से की जाएगी। साथ ही नवजात षिषु के जन्म का पंजीकरण कर लिया जाएगा।

3.15 पय जल की व्यवस्था

विभिन्न शरण स्थलों जहां बाढ़ पीड़ित स्वयं शरण लेते हैं उन शरण स्थलों तथा राहत षिविरों में पीने के पानी तथा अस्थायी शौचालय तथा मोबाईल मेडिकल टीमों की व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यदि पीने के पानी का संकट हो तो वहाँ भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

3.16 आवश्यक सेवाओं का त्वरित पुर्नस्थापन

3.16.1 आवागमन की व्यवस्था/सम्पर्क पथों का पुनर्स्थापन

बाढ़ के दौरान सम्पर्क पथ क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन बाधित हो जाता है। जिला पदाधिकारी सुनिष्चित करेंगे कि संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से सम्पर्क पथों को चलायमान बना दिया जाए ताकि राहत कार्यों में बाधा न पड़े। इसके लिए आवष्यक निधि जिला पदाधिकारी/संबंधित विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3.16.2 बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली एवं दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत एवं दूरसंचार सुविधा प्रायः ठप पड़ जाती है। अतएव जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करके सुनिष्चित करेंगे कि विद्युत एवं दूरसंचार व्यवस्था पुनर्स्थापित कर दी जाए।

3.17 तटबंधां के टूटने की दशा में आवश्यक कार्रवाईयाँ

- जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के निरन्तर एवं सतत् सम्पर्क में रहते हुए किसी भी तटबंध में रिसाव/टूटान की अविलम्ब सूचना उन्हें तथा अपने विभाग को द्रुततम संचार माध्यम से देंगे। वे व्यक्तिगत रूप से भी जिला पदाधिकारी से मिल कर समय–समय पर तटबंधों की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।
- तटबंधों में रिसाव/टूटान की जानकारी प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रषासन एवं पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बिना देर किये स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा स्थिति के संबंध में अपना आकलन आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को द्रुततम संचार माध्यमों से प्रेषित करेंगे।
- तटबंधों में किसी प्रकार के रिसाव/टूट की दषा में जल संसाधन विभाग के स्थानीय पदाधिकारी अपने विभागीय निदेषो के अनुरूप बिना देर किये रिसाव रोकने/टूटे तटबंध की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करेंगे। गंभीर टूटान के मामलों की सूचना उनके द्वारा द्रुततम संचार माध्यमों से यथानुसार आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग को दी जाएगी।
- तटबंधों के टूटान की कोई भी जानकारी मिलते ही जल संसाधन विभाग के मुख्यालय द्वारा आवष्यक कदम उठाया जाएगा। आवष्यक होने पर जल संसाधन विभाग को आपदा राहत कोष/राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से टूटान की मरम्मति के लिए राषि उपलब्ध करायी जाएगी।
- तटबंध की मरम्मति के समय आवष्यकतानुसार अभियंताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी

- तटबंध की मरम्मति की देख–भाल जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंताओं के अतिरिक्त जिला प्रषासन के वरीय पदाधिकारी भी करेंगे।
- तटबंध के रिसाव/टूटान की दषा में उससे प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को पंचायत के मुखिया/चौकीदार आदि के माध्यम से सतर्क किया जाएगा ताकि जन–धन की हानि को रोका जा सके। टूटान के कारण जल जमाव से जो आबादी प्रभावित होने वाली होगी उसे बिना देर किये निरापद स्थलों पर सुरक्षित पहुंचाने की कारवाई की जाएगी। इस कार्रवाई मे आवष्यकतानुसार एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/स्थानीय पुलिस/स्थानीय प्रषिक्षित स्वयं सवकों /नागरिक समूहों आदि की मदद ली जाएगी।
- टूटान के परिणाम स्वरूप जल प्लावित स्थानों से नावों/मोटर बोटों आदि के सहायता से आबादी को निष्कासित कर निरापद स्थान पर ले जाया जाएगा।
- टूटान तथा उसकी मरम्मति से संबंधित प्रगति की जानकारी जल संसाधन विभाग के अभियंता नियमित रूप से अपने विभाग तथा जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

3.18 जिला/राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक

बाढ़ आते ही जिला टास्क फोर्स की बैठक प्रतिदिन शाम को या जिला पदाधिकारी के सुविधानुसार किसी समय आयोजित की जाएगी जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा किये जा रहे बाढ़ से बचाव राहत आदि कार्यों की समीक्षा की जाएगी । साथ ही टास्क फोर्स में बचाव एवं राहत से संबंधित योजनाएँ बना कर उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य टास्क फोर्स की बैठकें भी मुख्य सचिव की सुविधानुसार की जाएगी।

3.19 बाढ़ से खराब हुए चापाकलों की मरम्मति

बाढ़ के दौरान चापाकलों की हुई क्षति का आकलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा जो स्थिति के अनुसार चापाकलों की मरम्मति विषेष टीमे बना कर कराते रहेंगे ताकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल का संकट उत्पन्न न हो। साथ ही हेलोजन टैबलेट चापाकल एवं कूओं में डाले जाऐंगे ताकि लोग दूषित पेय जल का षिकार न हों।

3.20 मृतकों के शवों का निपटान

बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के शवों के निपटान की आवष्यकता उत्पन्न होती है। अतएव जिला पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों की पहचान कर उनके शवों को संबंधित व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। यदि मृतकों की पहचान न हो रही हो तो पुलिस के द्वारा उनका फोटो रखा जाएगा तथा प्रसार माध्यमों से जन साधारण को शव पहचान करने की सूचना दी जाएगी। यदि शवों की पहचान तब भी न हो तो उनका निपटान

किसी जिम्मेदार कर्मी की देख–रेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए किया जाएगा।

3.21 पशु शवों का निपटान

बाढ़ के कारण मृत पषुओं के शवों, जिनके मालिकों की पहचान न हो सकी हो, के निपटान का दायित्व पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तर के पदाधिकारियों का होगा। ऐसे पषुओं के शवों के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा। बाढ़ में मृत पषुओं एवं उनके मालिकों की सूची उक्त विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बना ली जाएगी ताकि मृत पषुओं के प्रतिस्थापन हेतु साहाय्य वितरण में सुविधा हो सके।

3.22 मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान

बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित मानदर के अनुसार बिना देर किये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मृत्यु बाढ़ के कारण ही हुई है, इससे संबंधित प्रमाण–पत्र केस रेकर्ड में अंकित कर दिया जाएगा। एतद् संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित चिकित्सा पदाधिकारी सक्षम होंगे। यदि राषि उपलब्ध नहीं हो तो द्रुततम संचार माध्यमों से राषि आपदा प्रबंधन विभाग से मांग ली जाएगी। परन्तु किसी भी परिस्थिति में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान में अवांछित विलम्ब न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। बाढ़ के दौरान मृतकों के आश्रितों को अनुदान संबंधी मानदर **अनुलग्नक 11** पर संलग्न है। जहां तक बाढ़ में मृत व्यक्तियों के शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता एवं भुगतान का प्रष्न है, इस संबंध में विभागीय निदेष पत्रांक 70 दिनांक 12.1.09 के आलोक में कार्रवाई सुनिष्चित की जाएगी। यह पत्र **अनुलग्नक 12 पर संलग्न है।** यदि अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में देर होती है तो देरी के कारणों को केस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

3.23 राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय समुदायों एवं नागरिक संगठनों की भागीदारी

राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय समुदायों एवं नागरिक संगठनों को सहायता करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.24 गैर सरकारी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर/व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में सहयोग

बाढ़ आपदा के समय गैर सरकारी संस्थाओं/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/अन्य राज्य सरकारों/कॉरपोरेट सेक्टर एवं व्यक्तियों द्वारा राहत कार्यों में स्वेच्छा से सहयोग किया जाता है। उनके द्वारा किये जानेवाले सहयोग के लिए मार्गदर्षन निम्नानुसार होगा–

- नकद राषि मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष में जमा करायी जाएगी।

- राहत सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किये जाएंगे जिनके मार्गदर्षन एवं समन्वयन में इनका वितरण बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा।
- सीधे जिला स्तर पर प्राप्त होनेवाली सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। परंतु जिला स्तर पर प्राप्त सामग्रियों की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को देते हुए वितरण हेतु उनका मार्गदर्षन प्राप्त कर लिया जाएगा।
- उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्रियों का वितरण पंचायत/वार्ड स्तरीय राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देखरेख में यथा संभव संबंधित एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। यदि एजेन्सी का प्रतिनिधि उपलब्ध न हो तो वितरण जिला प्रषासन के माध्यम से होगा।

3.25 सूचना एवं मिडिया का प्रबंधन

बाढ़ आने की दषा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आम जन को सतर्क करने तथा बचाव एवं राहत की जानकारी आम जन तक पहुंचाने तथा आवष्यक सूचनाएँ प्रसारित करने के लिए रेडियो, टो0वो0 एवं प्रिंट मिडिया जैसे संचार माध्यमों का पूरा उपयोग किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन निर्धारित समय एवं स्थान पर मिडिया को बुला कर राहत एवं बचाव एवं बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यदि जिला पदाधिकारी अन्यत्र व्यस्त होंगे तो उनके द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी मिडिया को उपरोक्तानुसार सूचना देंगे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग/ राज्य नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से बाढ़ राहत, बचाव तथा बाढ़ की स्थिति के संबंध में मिडिया को सूचना दी जाएगी। साथ ही अफवाहों का खंडन किया जाएगा ताकि अनावष्यक अफरा–तफरी न मचे एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके।

3.26 जन शिकायतों का निपटान

बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव के संबंध में प्राप्त होनेवाली षिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर यथा अंचल/अनुमंडल/जिला/राज्य पर कार्यरत नियंत्रण कक्ष/आपातकालीन संचालन केन्द्रों में पंजी संधारित की जाएगी जिसमें प्राप्त षिकायतों तथा इसपर की गई कार्रवाई का विवरण अंकित रहेगा।

3.27 मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित रिपोर्ट पर कार्रवाई

बाढ़ आपदा के दौरान प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाषित/प्रसारित होती हैं। इन खबरों के माध्यम से बाढ़ की स्थिति तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अतएव बाढ़ आपदा के संबंध में प्रकाषित/प्रसारित खबरों का सघन अनुश्रवण किया जाएगा तथा उनका सत्यापन करने के पष्चात त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाएगा। वे इन खबरों पर की जानेवाली कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध करते रहेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी जिला पदाधिकारी को देंगे। इसी प्रकार राज्य नियंत्रण कक्ष के द्वारा प्रकाषित/प्रसारित खबरों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा संबंधित एजेन्सियों/विभागों के माध्यम से आवष्यक कार्रवाई सुनिष्चित की जाएगी। इसके लिए जिला/राज्य नियंत्रण कक्ष में पंजी संधारित की जाएगी। इन पंजियों में प्रकाषित/प्रसारित खबरो का सार तथा उनपर की गई कार्रवाई अंकित की जाएगी।

3.28 बाढ़ के समय दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन का प्रेषण

जिला स्तर से बाढ़ की पूर्ण जानकारी नियमित रूप से राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी। यह जानकारी बाढ़ के दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन के रूप में दी जाएगी जिसका विहित प्रपत्र **अनुलग्नक 13(क) एवं 13(ख)पर संलग्न** हैं।

3.29 राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से राशि प्राप्त करने हेतु मेमोरेन्डम का सूत्रण

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं सभी विभागों से क्षति का आकलन प्राप्त कर राहत एवं आधारभूत संरचनाओं के त्वरित पुनस्थापन हेतु राष्ट्रीय रिस्पौंस कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु मेमोरेन्डम तैयार किया जाएगा। साथ ही यदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षति के आकलन हेतु केन्द्रीय टीमों का भ्रमण होता है तो उक्त भ्रमण के समन्वय का कार्य विभाग एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मेमोरन्डम के लिए आवष्यक सूचनाएँ सभी विभाग एवं जिला पदाधिकारी त्वरित माध्यमों से आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3.30 जिला, प्रखंड /नगर एवं पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समितियों की बैठकें

बाढ पूर्व तैयारियों की समीक्षा तथा बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के अनुश्रवण के लिए समय–समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के माध्यम से राहत कार्यों की पारदर्षिता बनाने तथा राहत कार्यों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिष्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत/वार्ड स्तर पर अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन के संबंध में विभागीय निदेष पत्रांक 1388 दिनांक 24.7.04, पत्रांक 1004 दिनांक

8.7.05 एवं पत्रांक 3883 दिनांक 11.12.07 क्रमषः **अनुलग्नक 14(क) 14(ख) एवं 14(ग) के रूप में संलग्न है।**